राजस्व विविध सं. 2017/00253 बअनवान शांतिलाल बनाम स्व. हिम्मताराम के कामु प्रकाश
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री अयुब अली उपस्थित। अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2 के कामु. के श्री अमृत परिहार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 4/1, 6, 9, 10 के अधिवक्ता श्री हेमंत बोहरा उपस्थित। अप्रार्थी सं. 13 पैरोकार सरकार उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अयुब अली ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम भंदर स्थित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 29.05.1974 व 26.06.1975 को लिखे बंटवाडा लिखत के अनुसार ग्राम भंदर स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 2065, 2066, 2069 रकबा क्रमशः 0.25 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.6 हैक्टर प्रार्थी के हिस्से बंट में रखी गई थी परंतु अप्रार्थी सं. 3 ने भू-प्रबंध कार्यवाही के दौरान उक्त भूमि उसके नाम दर्ज करवा दी है जिससे प्रार्थी द्वारा लिखत के मुताबिक बेरा लुणवा व बेरा खसरा नंबर 2065, 2066, 2069 घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा व विभाजन का वाद पेश किया है जिसके निस्तारण में समय लगेगा तथा लिखत के मुताबिक वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज होनी चाहिये थी परंतु अधिकार अभिलेखो में बेरा लुणवा के हाल खसरा नंबर 2067 व 2068 ही प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हुये, एवं बेरा लुणवा की शेष रही भूमि व बेरा खसरा नंबर 2065, 2066, 2069 अप्रार्थी सं. 3 के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेखो से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने तथा सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिंदु भी प्रार्थी के पक्ष में होने से वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्राथीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का बेचान/हस्तांतरण नही करे एवं प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त व उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करें। अपनी दलीलों के समर्थन में बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये- 1. 2024(1) डीएनजे(आरईवी) पेज 600 2. 2004 डीएनजे(एससी) पेज 263 प्रार्थी अधिवक्ता की दलीलों का खण्डन करते हुये अप्रार्थी सं. 3 के अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा ने बहस में जवाब व काउण्टर जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि ग्राम भंदर स्थित भूमि खसरा नंबर 2067, 2068 अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से बंट में आने से अप्रार्थी विश्वेश्वर उस भूमि पर काश्त कर रहा है परंतु इसें भूमि की खातेदारी प्रार्थी शांतिलाल के नाम है जबकि प्रार्थी शांतिलाल का इन खसरों की भूमि पर कब्जा नही है। मकान के बंटवाडे के समय उक्त भूमि शांतिलाल के द्वारा विश्वेश्वर को सुपूर्द करने से विश्वेश्वर उसका खातेदार हो चुका है। प्रार्थी शांतिलाल को बेरा पेराउ की भूमि खसरा नंबर 2004, 2360, 2361 प्रार्थी शांतिलाल को सुपुर्द करने से इसकी खातेदारी शांतिलाल के नाम दर्ज करने तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2067, 2068 का खातेदार अप्रार्थी सं. 3 को दर्ज किये जाने की दलील दी तथा साथ ही बेरा लुणवा पर स्वर्गीय कानारामजी के नाम से लिये बिजली कनेक्शन का खर्चा विश्वेश्वर द्वारा अदा किया जाने से शांतिलाल को बिजली कनेक्शन में दखलअंदाजी से रोके जाने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की दलील दी गई। बहस के अंत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने के साथ भंदर स्थित भूमि खसरा नंबर 2067 व 2068 में प्रार्थी दखलबदाजी नही करे तथा बेचान हस्तांतरण नही करे व बेरा लुणवा पर कानारामजी के नाम से लिये बिजली कनेक्शन में भी प्रार्थी किसी प्रकार की तोड-फोड नही करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के विरूद्ध जारी किये जाने की दलील दी गई। अपनी	

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

दलीलों के समर्थन में अधिवक्ता अप्रार्थी सं 3 द्वारा निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये गये–

1. आरआरडी 1996 पेज 28

2. आरआरडी 2011(1) पेज 84

3. आरआरटी 2019(2) एससी पेज 1138

4.आरआरटी 2011(1) एससी पेज 339

5. सीटी 2003(1) राज पेज 359

पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया । पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम भंदर स्थित बेरा लुणवा के खसरा नंबर 2065, 2066 व 2069 की भूमियां तथा काउण्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मौजा भंदर के खसरा नंबर 2067 रकबा 0.45 हैक्टर व खसरा नंबर 2068 रकबा 0.60 हैक्टर स्व. कानारामजी से प्राप्त संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भुमियां है। जिन भूमियों के संबंध में बंटवाडा लिखत दिनांक 29.05.1974 व 26.06.1975 को हो चुका है तथा उस बंटवाडे के अनुसार पक्षकार मौके पर काबिज काश्त है। तथा ग्राम भंदर स्थित बेरा लुणवा के खसरा नंबर 2065 2066, 2069 रकबा कमशः 0.25 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.60 हैक्टर की भूमि मकान के बंटवाडे के समय अप्रार्थी सं 3 के बंट में रखे जाने के तथ्य भी ज्ञात है। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि को लेकर दोनो पक्षों के मध्य विवाद है। जिसका अंतिम तौर पर निरतारण वाद एवं काउण्टर क्लेम के निर्णय से ही संभव होगा। वर्तमान में दोनों पक्षों द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये मांग एक–दुसरे के विरूद्ध की गई है। धारा 212 टिनेंसी एक्ट एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्ट्या मामला बनना, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर हस्तगत प्रकरण का परिक्षण करने पर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नंबर 2065, 2066, 2069 रकबा कमशः 0.25 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.60 हैक्टर अप्रार्थी सं 3 के खातेदारी की भूमि होने तथा काउण्टर क्लेम मे उल्लेखित खसरा नंबर 2067 रकबा 0.45 हैक्टर व खसरा नंबर 2068 रकबा 0.60 हेक्टर प्रार्थी के खतेदारी की भूमियां है। अतः मूल वाद व काउण्टर क्लेम के निस्तारण तक पुश्तैनी भूमियों के कब्जे को लेकर दोनो पक्षो के मध्य कोई अन्यथा विवाद न हो इस हेतु प्रार्थना पत्र में उल्लेखित ग्राम भंदर के खसरा नंबर 2065, 2066, 2069 रकबा कमशः 0.25 हैक्टर, 0.05 हैक्टर, 0.60 हैक्टर एवं काउण्टर जवाब में उल्लेखित ग्राम भंदर के खसरा नंबर 2067 रकबा 0.45 हैक्टर व खसरा नंबर 2068 रकबा 0.60 हेक्टर के संबंध में रिकार्ड व मौके की यथा स्थिति कायम रखे जाने कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है। बेरा लुणवा पर कानारामजी के नाम से लिये बिजली कनेक्शन में प्रार्थी किसी प्रकार की दखलअंदाजी व तोड–फोड नही करें तथा वर्णित भूमियों का बेचान हस्तांतरण मूल वाद व काउण्टर क्लेम के निर्णय तक नही किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner